

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III —Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 396] No. 396] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर १, २०१५/अग्रहायण १८, १९३७

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015 / AGRAHAYANA 18, 1937

कृषि मंत्रालय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविघालय) अध्यादेश

झांसी, 16 जुलाई, 2014

2014 का संख्या 1

सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/1/2014: चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009—ईक्यूआर दिनांक 16. 07.2014 के द्वारा बेचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम के छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। शैक्षणिक वर्ष 2014—15 के लिए सीटों की संख्या बीस होगी जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप—बंध (a) के साथ पढ़े जाने वाली उप—धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपित प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा यह अधिसूचित करता हूं कि बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रवेश कृषि महाविद्यालय झांसी को आबंटित किया जाएगा।

छात्रों का यह प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रनातक कार्यक्रमों के लिए कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (एआईईईए) द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप संचालित होगी। बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाला प्रत्येक प्रत्याशी भारतीय नागरिक होना चाहिए जिसकी आयु जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उस शैक्षणिक वर्ष के 31 अगस्त को कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों को छोड़कर जिन्हें आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी, किसी भी अन्य प्रत्याशी को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। प्रत्याशियों का चयन भारत सरकार की आरक्षण नीतियों को ध्यान में रखते हुए भा.कृ.अ.प. द्वारा आयोजित की गई एआईईईए के माध्यम से अंकों की प्रतिभा के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश की न्यूनतम अर्हकता अंग्रेजी, भौतिकी, रसायनविज्ञान और जीवविज्ञान/गणित या कृषि विषयों के साथ 10+2 स्तर पर कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक होगी।

अरविन्द कुमार, कुलपति

[विज्ञापन-|||/4/असा./375/15(285)]

5143 GI/2015 (1)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural Research and Education)

(RANI LAKSHMI BAI CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY)

ORDINANCE

Jhansi, the 16th July, 2014

No. 1 of 2014

No. VC/RLBCAU/Ordinance/1/2014: Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research has approved to make an ordinance regarding the admission and enrolment of students to Bachelor of Science (Hons.) Agriculture Course in the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi *vide* No. F 3/3/2009-EQR dated 16.7.2014. The number of seats initially for academic session 2014-2015 shall be twenty which may be subsequently enhanced.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the Sub-Section (2) read with clause (a) of Sub Section (1) of Section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 (10 of 2014) and with the previous approval of the Central Government as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Rani Lakshmi Central Agricultural University, Jhansi, do hereby make this first Ordinance and notify that the admission of students to the 1st year of B.Sc. (Hon.) Agriculture in the College of Agriculture, Jhansi shall be allotted.

The admission of students shall be governed as per the eligibility requirement prescribed by Indian Council of Agricultural Research for All India Entrance Examination in Agriculture and Allied Sciences (AIEEA) for UG programmes. Every candidate seeking admission in the B.Sc. (Hons.) Agriculture Course shall be an Indian national of atleast 17 years of age as on the 31st August of the academic year to which the admission is sought for. No relaxation of age will be allowed to the candidates except for SC/ST/PC category where upper age limit would be relaxable by five years. The candidates shall be selected through the AIEEA conducted by ICAR on the basis of merit of marks and keeping in view the reservation policies of Government of India. The minimum qualification for admission shall be of 50% marks in aggregate at 10+2 level with English, Physics, Chemistry and Biology/Mathematics or Agriculture.

ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./375/15 (285)]

अध्यादेश झांसी, 16 जुलाई, 2014 2014 का संख्या 2

सं.वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/2/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009—ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 के द्वारा अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप—धारा (1) के उप बंध (b) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपित प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा यह अधिसूचित करता हूं कि आरएलबीसीएयू में बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित पाठयक्रम के अनुरुप होगा।

अरविन्द कुमार, कुलपति

[विज्ञापन- III /4/असा /375/15(285)]

ORDINANCE

Jhansi, the 16th July, 2014 No. 2 of 2014

No.VC/RLBCAU/Ordinance/2/2014: Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research has approved to make an ordinance regarding the Course of Study in the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi *vide* No. F 3/3/2009-EQR dated 16.7.2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the Sub-Section (2) read with clause (b) of Sub Section (1) of Section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 (10 of 2014) and with the previous approval of the Central Government as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Rani Lakshmi Central Agricultural University, Jhansi, do hereby make this first Ordinance and notify that the Course of Study for B.Sc. (Hons.) Agriculture course at RLBCAU shall be as prescribed by Indian Council of Agricultural Research.

ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./375/15 (285)]

अध्यादेश झांसी, 16 जुलाई, 2014 2014 का संख्या 3

सं.वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/3/2014 : चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009—ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की शिक्षण और परीक्षा के माध्यम से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप—धारा (1) के उप—बंध (c) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपित प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा यह अधिसूचित करता हूं कि रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में सभी रनातक तथा रनातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण व परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।

अरविन्द कुमार, कुलपति [विज्ञापन- III /4/असा./375/15(285)]

ORDINANCE

Jhansi, the 16th July, 2014

No. 3 of 2014

No. VC/RLBCAU/Ordinance/3/2014: Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education/Indian Council of Agricultural Research has approved to make an Ordinance regarding the medium of instruction and examination of students in various course in the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi *vide* No. No. F 3/3/2009-EQR dated 16.7.2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clause (c) of sub-section (1) of Section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act.2014 (10 of 2014) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University,

Jhansi, do hereby make the first Ordinance and notify that English language shall be the medium of instruction and examination in all Under-Graduate and Post-Graduate Courses, in the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi.

ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./375/15 (285)]

अध्यादेश

झांसी, 16 जुलाई, 2014 2014 का संख्या 4

सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/4/2014 : चूंिक भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009—ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 के द्वारा बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स) कृषि में अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं में प्रवेश देने के लिए विभिन्न शुल्क लेने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप—धारा (1) के उप—बंध (e) के साथ पढ़े जाने वाली उप—धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपित प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा गैर—वापसी योग्य और वापसी योग्य, विभिन्न उन शुल्कों को अधिसूचित करता हूं जो कृषि महाविद्यालय, झांसी के बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के छात्रों से प्राप्य होंगे और जिनका पैटर्न सीएयू, इम्फाल के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार होगा जिसे यहां तालिका में दिया जा रहा है।

म दिया जा रहा	ं ह		
क्र.सं.	शुल्क का विवरण	बी.एस. (ऑनर्स) कृषि	
महाविद्यालय शुल्क-गैर-वापसी योग्य/सेमिस्टर			
1.	पंजीकरण शुल्क	40.00ক.	
2.	प्रवेश शुल्क	10.00ক.	
3.	ट्यूशन शुल्क	240.00ক.	
4.	परीक्षा शुल्क	50.00₹.	
5.	प्रयोगशाला शुल्क	100.00₹.	
6.	पुस्तकालय शुल्क	40.00₹.	
7.	पाठ्यक्रम पंजीकरण शुल्क	10.00ক.	
8.	सेमिस्टर प्रतिवेदन शुल्क	10.00ক.	
9.	छात्र कल्याण निधि	80.00रु.	
10.	छात्रावास प्रवेश शुल्क	10.00ক.	
11.	छात्रावास स्थापना शुल्क	20.00ক.	
12.	छात्रावास पात्र, क्रॉकरी आदि का मूल्यद्यस प्रभार	90.00रु.	
13.	छात्रावास कक्ष का किराया	600.00रु.	
14.	जल प्रभार	60.00₹.	
15.	विद्युत प्रभार	वास्तविक खपत के अनुसार	
	कुल	1360.00ক.	
वापसी (पाट्य	योग्य क्रम के लिए केवल एक बार अदा की जानी है)		
16.	महाविद्यालय जमानती राशि	200.00ক.	
17.	छात्रावास जमानती राशि	500.00ক.	
18.	विद्युत जमानती राशि	1000.00₹.	
19.	भोजनालय जमानती राशि	2000.00₹.	
	कुल	3700.00₹.	

टिप्पणी :

- 1. छात्र भोजनालय संबंधी प्रभार वास्तव में हुए व्यय के अनुसार अलग से अदा करेंगे।
- 2. इस अध्यादेश में विशिष्टीकृत शुल्क अगली अधिसूचना तक 2014—15 के शैक्षणिक सत्र में बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश पाए छात्रों से प्राप्य होगी।

अरविन्द कुमार, कुलपति

[विज्ञापन- III /4/असा./375/15 (285)]

ORDINANCE

Jhansi, the 16th July, 2014 No. 4 of 2014

No. VC/RLBCAU/Ordinance/4/2014:—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education (Indian Council of Agricultural Research) has approved to make an Ordinance regulating the various fees to be charged for the course of study of Bachelor of Science (Hons) Agriculture and for admission to the examinations in the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi vide No. No. F 3/3/2009-EQR dated 16.7.2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clause (e) of sub-section (1) of section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 (10 of 2014), and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi do hereby make the first Ordinance and notify the various fees-both non-refundable and refundable, chargeable from the students of B.Sc. (Hons.) Agriculture of the College of Agriculture, Jhansi shall be on the pattern of existing provision of CAU, Imphal as given in the Table annexed hereto:

TABLE

S.No.	Particulars of fees	B.Sc. (Hons.) Agri.	
College Fee-Non-refundable/Semester			
1.	Registration fee	Rs. 40.00	
2.	Admission Fee	Rs. 10.00	
3.	Tuition fee	Rs. 240.00	
4.	Examination Fee	Rs. 50.00	
5.	Laboratory Fee	Rs. 100.00	
6.	Library Fee	Rs. 40.00	
7.	Course Registration Fee	Rs. 10.00	
8.	Semester report fee	Rs. 10.00	
9.	Students' Welfare Fund	Rs. 80.00	
10.	Hostel admission fee	Rs. 10.00	
11.	Hostel establishment fee	Rs. 20.00	
12.	Hostel utensils, crockery etc.	Rs. 90.00	
	Depreciation charges		
13.	Hostel room rent	Rs. 600.00	
14.	Water Charges	Rs. 60.00	
15.	Electricity charges	As per actual	
	Total	Rs.1360.00	
Refundable			
(To be paid only once for a course)			
16.	College caution money	Rs. 200.00	
17.	Hostel caution money	Rs. 500.00	
18.	Electricity Security	Rs. 1000.00	
19.	Mess security	Rs. 2000.00	
	Total	Rs. 3700.00	

Note

1. Students shall pay the mess charges separately as per the actual expenditure incurred.

2. The fees as specified in this Ordinance shall be chargeable from the students admitted to B.Sc. (Hons) Agriculture Course in 2014-15 academic session till further notification.

ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./375/15 (285)]

अध्यादेश

झांसी, 16 जुलाई, 2014 2014 का संख्या 5

सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/5/2014.—चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009—ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति, प्रतिभा—एवं—साधन छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा—उत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति छात्रों के लिए) प्रदान किए जाने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (f) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपित प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति, प्रतिभा—एवं—साधन छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा—उत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों / नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

अरविन्द कुमार, कुलपति [विज्ञापन- III /4/असा./375/15 (285)]

ORDINANCE

Jhansi, the 16th July, 2014 No. 5 of 2014

No. VC/RLBCAU/Ordinance/5/2014.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education (Indian Council of Agricultural Research) has approved to make an Ordinance regarding the award of National Talent Scholarship, Merit-cum-Means scholarship and Post Matric Scholarship (for Scheduled Caste and Scheduled Tribes students) to the students of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi vide No. F 3/3/2009-EQR dated 16.7.2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) read with clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act. 2014 (10 of 2014), and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi do hereby make the first Ordinance and notify the conditions and procedure for the award of National Talent Scholarship, Merit-cum-Means scholarship and Post Matric Scholarship (for Scheduled Caste and Scheduled Tribes students) to the students of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi shall be as per guidelines/rules of the Indian Council of Agricultural Research or the University.

ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./375/15 (285)]

अध्यादेश

झांसी, 16 जुलाई, 2014 2014 का संख्या 6

सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/6/2014.—चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009—ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 द्वारा छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने से संबंधित अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (g) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपित प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि के छात्रों के लिए परीक्षा की सेमिस्टर प्रणाली से संबंधित शर्तें तथा क्रियाविधियां अगले अध्यादेश के जारी होने तक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल द्वारा अपनाए जाने वाले शैक्षणिक विनियमों के अनुसार लागू होंगी/अपनाई जाएंगी।

अरविन्द कुमार, कुलपति [विज्ञापन- III /4/असा./375/15 (285)]

ORDINANCE

Jhansi, the 16th July, 2014

No. 6 of 2014

No. VC/RLBCAU/Ordinance/6/2014.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education (Indian Council of Agricultural Research) has approved to make an Ordinance regarding the conduct of examination for the students of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi vide letter No. F 3/3/2009-EQR dated 16.7.2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) read with clause (g) of sub-section (1) of section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act. 2014 (10 of 2014), and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi do hereby make the first Ordinance and notify the conditions and procedure for the conduct of semester system of examination for the students of B.Sc. (Hons.) Agriculture of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi shall be as per academic regulations adopted by the Central Agricultural University, Imphal till further notification.

ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./375/15 (285)]

अध्यादेश

झांसी, 16 जुलाई, 2014 2014 का संख्या 7

सं. वीसी/आरएलबीसीएयू/अध्यादेश/7/2014.—चूंकि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने कथित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ज्ञापन सं. एफ 3/3/2009—ईक्यूआर दिनांक 16.07.2014 द्वारा छात्रों के आवास की शर्तों के संबंध में अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः अब रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 के 10) की धारा 28 की उप धारा (1) के उप बंध (h) के साथ पढ़े जाने वाली उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी का कुलपित प्रथम अध्यादेश जारी करता हूं तथा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के छात्रों के आवास की निम्न शर्तें अधिसूचित करता हूं :

1. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी एक आवासीय विश्वविद्यालय होगा।

- 2. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय के छात्रावास में विश्वविद्यालय द्वारा वांछित और प्रबंधित ऐसे ही किसी अन्य आवास में रहेगा।
- 3. इस अध्यादेश के पैरा 1 और 2 में वर्णित तथ्य के अलावा छात्र को विशेष परिस्थितियों में अपने माता—िपता / अभिरक्षक के साथ संबंधित अधिष्ठाता की स्वीकृति से छात्रावास के बाहर ठहरने की अनुमित दी जाएगी जिसके लिए माता—िपता / अभिरक्षक द्वारा विशेष तौर पर लिखित अनुरोध करना होगा और जहां छात्र रह रहा है वह स्थान महाविद्यालय से उचित दुरी पर स्थित होना चाहिए।

अरविन्द कुमार, कुलपति [विज्ञापन- III /4/असा./375/15 (285)]

ORDINANCE

Jhansi, the 16th July, 2014

No. 7 of 2014

No. VC/RLBCAU/Ordinance/7/2014.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education (Indian Council of Agricultural Research) has approved to make an Ordinance regarding the conditions of residence of students of the Central Agricultural University by the Vice-Chancellor of the said University vide No. F 3/3/2009-EQR dated 16.7.2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with clause (h) of sub-section (1) of section 28 of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014 of (10 of 2014) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi do hereby make the first Ordinance and notify the conditions of residence of the students of the Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi as follows:

- 1. The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi shall be a residential University
- 2. Every student of the University shall reside in a Hostel of the University or in such other accommodation required and managed by the University.
- 3. Notwithstanding anything contained in para 1 and 2 of this Ordinance, a student may be allowed by the concerned Dean to stay outside the hostel with his/her parent/guardian under special circumstances and on a specific written request of the parent/guardian provided the place is within a reasonable distance from the college where the student is residing.

ARVIND KUMAR, Vice-Chancellor [ADVT.-III/4/Exty./375/15 (285)]